संख्या-83/2022/299/58-2-2022-300(1)/2020

संख्या :A066-20222023-001-2140451-2022

प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 08 जुलाई, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि रू0-4000.00 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-35/बजट/2022-23, दिनांक: 10.06.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 की योजना में प्राविधानित धनराशि रू0-4000.00 लाख (रूपया चालीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू0-1330.20 लाख (रूपये तेरह करोड़ तीस लाख बीस हजार मात्र) को अवमुक्त कर प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

लेखाशीर्ष-2401001190418 (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	08 कार्यालय व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
2	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
3	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
4	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	27 सब्सिडी	13,00,00,000 (रुपये तेरह करोड़ मात्र)
5	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	42 अन्य व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
6	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	25,00,000 (रूपये पच्चीस लाख मात्र)

http://sanadesk.up.gov.in

.....2/-

7	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	47 कम्प्यूटर अनुरक्षणतत्सम्बन्धी / स्टेशनरी का क्रय	50, 000 (रूपये पचास हजार मात्र)
8	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,50, 000 (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**13,30,20, 000 (रूपये तेरह करोड़ तीस लाख बीस हजार मात्र)**
महायोग				**13,30,20, 000 (रुपये तेरह करोड़ तीस लाख बीस हजार मात्र)**

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के दिशा-निर्देशों/गाईड लाईन एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(4) प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।

(5) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, इसके लिए विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तरदायी होंगे।

(6) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(7) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(9) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022- 231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवयार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-1-17-X-2022-23-दिनांक: 29-6-2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

.....3/-

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-83/2022/299 (1)/58-2-2022, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in